राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2025–26–   दिनांकः– 17.05.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2025–26 मे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ मे गाय के गोबर (गीला व सूखा देशी गाय का गोबर)व गौमूत्र उपलब्ध करवाने के लिये निविदा दिनांक 26.05.2025 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है व उसी दिन सांय 3.15 बजे फार्म समिति की उपस्थिति में निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी, निविदा में भाग लेने से पूर्व रूपये 10000/–प्रतिखण्ड का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन भूगतान (खाता संख्या 34032829868, IFSC code SBIN0007774) जो कि ''नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़'' के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी।टेण्डर फार्म व नियम शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व टेण्डर फार्म रू.236/–(including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ आधार कार्ड की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य प्रमाणो की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा भुल्क रु.236/– का ड्राफ्ट देना होगा।

नोटः –अपराहन 2.45 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म नही दिया जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of Aadhar card	
Copy of Pan Card	
Signed copy of Terms and condition	
Copyt of bank passbook & cheque	

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

क्रमांकः – सर. / कृषि / 20 / 2025–26– दिनांकः –

वर्ष 2025–26 मे गाय के गोबर (गीला व सूखा देशी गाय का गोबर)व गौमूत्र उपलब्ध करवाने की नियम व शर्ते।

1. फार्म द्वारा वर्ष 2025–26 मे देशी गाय के गोबर (गीला व सूखा देशी गाय का गोबर) व गौमुत्र (स्वंय के वाहन से) उपलब्ध करवाने हेतू आमंत्रित निविदा मे दरें देने हेतू इच्छुक ठेकेदार खण्डवार रूपये 10000 / –(रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाईन माध्यम जो कि, ''नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ''के नाम से सुरतगढ में देय हो जो कि फार्म खजांची के पास जमा करवानी होगा ।
2. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें, इसके लिए पार्टी को रूपये 500 / – (रूपये पांच सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
3. ठेकेदार द्वारा स्वयं के वाहन से देशी गाय का गोबर व गोमुत्र खण्ड प्रभारी के निर्देशानुसार निर्धारित स्थानं पर पहुंचाना होगा।
4. फार्म द्वारा गाय के गोबर व मुत्र मांग देने पश्चात तीन दिवस मे गोबर व मुत्र उपलब्ध करवाना होगा। मांग अनुसार गोबर व गौमुत्र उपलब्ध नही करवाने की दशा मे फार्म स्वीकृत दरो पर किसी भी अन्य पार्टी से गोबर व गौमुत्र लेने हेतू स्वंतत्र होगा।लगातार तीन बार मांग अनुसार गोबर व गौमुत्र की उपलब्ध सुनिशिचित नही करने की दशा मे फार्म प्रमुख के पास ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. ठेकेदार द्वारा गीला व सुखा गाय का गोबर अलग–अलग उपलब्ध करवाना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा परिवहन, गौमूत्र हेतू ड्रम / पात्र व श्रमिको व्यवस्था स्वंय करनी होगी फार्म द्वारा कोई भी वाहन, ड्रम / पात्र व श्रमिक उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
6. गाय के गोबर व मुत्र की गुणवत्ता जांच परांत मानक अनुसार नही होने पर गाय के गोबर व मुत्र वाहन को वापिस करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा गाय के गोबर की मात्रा को फार्म के कांटे पर तुलाई पंरात ही निर्देशानुसरा निर्धारित स्थान पर पहुचाना होगा। गौमुत्र की मात्रा को संबंधित खण्ड प्रभारी को सत्यापित करवाना होगा।
8. गाय के गोबर व मुत्र की उपलब्धता के बिल प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल पर प्रस्तुत करने हेागे।
9. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागु होगा तो ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।फार्म, लागु कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मदेार नही होगा।
10. ठेकेदार द्वारा कार्य के दौरान निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।
11. एक पार्टी को अधिकतम एक खण्ड ही आवंटित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों मे फार्म प्रमुख की स्वीकृति परांत एक ही पार्टी को दोनो खण्ड आवंटित किया जा सकते है।
12. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक खण्ड का बिल अलग–अलग देना होगा।

लगातार पेज 2 / –

10 यदि फार्म सुपरवाईजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा फार्म प्रमुख महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

11. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

12. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।

13. फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी के रिश्तेदारो द्वारा निविदा में भाग लेना मान्य नही होगा, यदि वह किसी कर्मचारी का रिश्तेदार पाया जाता है तब संबधित ठेकेदार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी व फार्म के नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

14. कार्य की अवधि वर्ष 2025–26 मे रबी फसलो कटाई पश्चात दिनांक 31.03.2026 तक रहेगी।

15-इस संबंध में राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझनें की स्थिति में मामले का समाधान/निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration)की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, राष्टीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधीनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अतिंम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाधन का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल सूरतगढ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार की पक्षकारों पर लागू होंगा।

प्रभारी (उत्पादन)

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

क्रमांक :– सर./कृषि/20/2025–26/ दिनांकः –

वित्तिय निविदा प्रपत्र

कार्य का विवरण		खण्ड–4 हेतू	खण्ड–5 हेतू
देशी गाय का गीला गोबर	दरे (क्विं मे)		
देशी गाय का सुखा गोबर	दरें (क्विं मे)		
देशी गाय का गोमूत्र	दरें (लीटर मे)		

इ.एम.डी राशि का विवरण–

जमा राशि..............................
दिनांक....................................

दिनांकः – ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नामः – ....

पिता का नामः – ....

गांव व पोस्टः – ....

जिलाः – ....

फोन नं.: – ....

पैन न0:–...